

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2023—पौष 20, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्रमांक एफ ए 3-37/2017/1/पांच (76) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-37/2017/1/पांच (77) दिनांक 26.07.2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

उक्त	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 3301 25 90	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति;
------	--	---	----------------------	----------------------

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र. एफ ए-3-37-2017-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-37-2017-1-पांच (76), दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th January 2023

No. F A 3-37/2017/1/V (76) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA-3-37-2017/1/V(65) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for S. No. 3A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" 3A.	3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40, 3301 25 90	Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - a) Of peppermint (<i>Mentha piperita</i>); b) Of other mints : Spearmint oil (ex- <i>mentha spicata</i>), Water mint-oil (ex- <i>mentha aquatic</i>), Horsemint oil (ex- <i>mentha sylvestries</i>), Bergament oil (ex- <i>mentha citrate</i>), <i>Mentha arvensis</i>	Any Unregistered Person	Any Registered Person";
-------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date 1st day of January, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.